यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ ।
ठासीन अधिकारी – रतनलाल रेंगर आर.ए.एस.
द पत्र संख्या – 12/2018

दीगण :–

1 खुशालाराम पुत्र श्री चुतराराम
2 मूलाराम पुत्र श्री चुतराराम
जाति भील निवासी प्रताप नगर
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

तिवादीगण :–

1 कानाराम पुत्र श्री घमाराम
2 जसकी पत्नि श्री भवंरराम
3 बाबुलाल पुत्र श्री घमाराम
4 भोमाराम पुत्र श्री फुसाराम
5 राजुराम पुत्र श्री फुसाराम
6 रामचन्द्र पुत्र श्री फुसाराम
7 गोगी पुत्री श्री फुसाराम
8 ममता पुत्री श्री फुसाराम नाबालिग की वलीया माता बेबीदेवी पत्नि श्री फुसाराम
9 बेबीदेवी पत्नि श्री फुसाराम
10 पूनाराम पुत्र श्री सुखाराम
11 कालूराम पुत्र श्री मोडाराम
12 भोमाराम पुत्र श्री मोडाराम
13 भीकी बेवा श्री मोडाराम
14 मगाराम पुत्र श्री भेराराम
15 सुखाराम पुत्र श्री झुमरराम
जाति भील निवासी औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर।

16 श्री मान तहसीलदार साहब, औसिया ।
17 भीयाराम पुत्र श्री लसाराम फौत जिनके कायम मुकाम
17–(1) कानाराम पुत्र श्री घमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित – प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

17—(2) जिसकी पत्नि भवंरराम
17—(3) बाबुलाल पुत्र श्री घमाराम
जाति भील निवासी औसिया

श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी की ओर से ।
श्री अमरसिंह भाटी प्रतिवादीगण की ओर से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188, आर.टी.एक्ट. 1955

— निर्णय — **दिंनाक —7/3/19**

स प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम औसिया के खसरा 88/6 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है । उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमे ख्या 1 का 161/840 हिस्सा है ,वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा है । अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है । इसी माफीक वादीगण क हिस्से की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाना । वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे भूमि है । वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि के विकाश कार्य करवाने मे महसूस करते है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन ण ने विभाजन नही करवाया अभी हाल ही मे दिंनाक 1.5.2018 को ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तब ण ने साफ इन्कार कर दिया एवं वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल धमकी दी जब कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से वादीगण को करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवा कर प्रतिवादीगण फ स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया है । वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे वादीगण का अपने हक हिस्से शान्ती पूर्वक काबिज है इसलिए प्रथम दृष्टया सुदृढ. मामला वादीगण के नता है यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष मे बनता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित — प्रतिलिपि

ओसियां जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया । प्रतिवादीगण के समन तामील सुदा प्राप्त हुए । प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से अमरसिंह भाटी एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया जबाब पेश नही करते हुए उक्त वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए दोनो पक्षो ने सहमति व्यक्ति की इसलिए वादी का वाद सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 1588/6 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा भूमि मे वादी संख्या 1 का 161/840 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्से की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और न ही किसी अन्य से करावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे , तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर लिखा जावे कि राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना की जाकर शीघ्र बन्टवारा प्रस्ताव पेश करे पत्रावली वास्ते इन्तजार बन्टवारा प्रस्ताव मे रखी जावे ।

सहायक कलेक्टर, औसिया

सहायक कलेक्टर औसियां

निर्णय आज दिंनाक 7/3/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर औसियां

सहायक कलेक्टर औसियां

सहायक कलेक्टर औसियां जिला जोधपुर

प्रमाणित - प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।

बइजलास –**रतनलाल रेंगर आर.ए.एस.**

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1 खुशालाराम पुत्र श्री चुतराराम 2 मूलाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति भील निवासी प्रताप नगर तहसील औसिया जिला जोधपुर	1 कानाराम पुत्र श्री घमाराम 2 जसकी पत्नि श्री भवंरराम 3 बाबुलाल पुत्र श्री घमाराम 4 भोमाराम पुत्र श्री फुसाराम 5 राजुराम पुत्र श्री फुसाराम 6 रामचन्द्र पुत्र श्री फुसाराम 7 गोगी पुत्री श्री फुसाराम 8 ममता पुत्री श्री फुसाराम नाबालिग की वलीया माता बेबीदेवी पत्नि श्री फुसाराम 9 बेबीदेवी पत्नि श्री फुसाराम 10 पूनाराम पुत्र श्री सुखाराम 11 कालूराम पुत्र श्री मोडाराम 12 भोमाराम पुत्र श्री मोडाराम 13 भीकी बेवा श्री मोडाराम 14 मगाराम पुत्र श्री भेराराम 15 सुखाराम पुत्र श्री झुमरराम जाति भील निवासी औसिया तहसील औसिया जिला जोधपुर। 16 श्री मान तहसीलदार साहब, औसिया । 17 भीयाराम पुत्र श्री लसाराम फौत जिनके कायम मुकाम 17–(1) कानाराम पुत्र श्री घमाराम 17–(2) जिसकी पत्नि भवंरराम 17–(3) बाबुलाल पुत्र श्री घमाराम जाति भील निवासी औसिया

मुकदमा नम्बर 12/2018

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से अमरसिंह भाटी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 1588/6 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा भूमि मे वादी संख्या 1 का 161/840 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्से की भूमि का

सहायक कलेक्टर, औसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्टवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तदनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जाता है एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और न ही किसी अन्य से करावे । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बन्टवारा प्रस्ताव को इस डिकी का भाग समझा जावे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिकी जारी की जाती है । मुवलिग.................................बाबत ....खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह ....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक ....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 30/7/2019.....को जारी की गई ।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्धफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner